कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः– 1928 /FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनॉकः देहरादून 10. फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद– नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 08.08.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 08.08.2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 1299/28–1 दिनांक 28.01.2023 के द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

शर्त सं0	विवरण	अभ्युक्ति
1	बिन्दु संख्या–01 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह आवश्वस्त कराया गया है कि यथानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures and Budgetary provision कर लिया जायेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा बिन्दु संख्या 01 के सन्दर्भ में सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार हल्द्वानी बाईपास में हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक प्रस्तावित मोटर मार्ग से गौला नदी का तट अलग–अलग स्थानों पर न्यूनतम 392 मी0 है तथा अधिकतम 1497 मी0, औसतन 755 मी0 पर है अतः गौला नदी से मोटर मार्ग के अपरदन/कटाव/अपक्षरण की कोई संभावना नहीं है। साथ ही अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में वर्तमान में कोई भी चिरस्थायी नाला या जल प्रवाह नहीं है। भूगर्भवेत्ता की आख्या में भी अपरदन नियत्रण हेतु कोई सुंझाव नहीं दिये गये हैं। मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कॉजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होंगे, जिसका प्राविधान आगणन में किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के बायीं ओर वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिये वन विभाग द्वारा 70% से 80% लम्बाई में खाई खोदी गयी है तथा अधिकांश स्थानों पर सोलर फेन्स भी लगाये गये है। प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में आगणन गठन की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें खाई की तरफ मोटर मार्ग के अपरदन/कटाव/अपक्षरण से बचाव हेतु आगणन में निम्न मद प्रस्तावित है। प्रति संलग्न है :–

		1. 50 मीटर पत्थर की 1.50 मीटर ऊँची दीवार प्रत्येक कि0मी0 में। 2. पुराने सूखे जल मार्गों की स्थान पर एहतियान अप–स्ट्रीम व डाउन–स्ट्रीम में वायर क्रैट का कार्य प्रस्तावित है साथ ही भूगर्भवत्त की रॉय के अनुसार मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कॉजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तावित है। 3. अवशेष स्थानों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने के लिये 3 मीटर छोड़ी खाई के कटाव से बचाव हेतु दीवार का निर्माण भी प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगतप्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1928 /FP/UK/ROAD/29571/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 1299/28–1 दिनांक 28.01.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

10/02/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,